



## जापान फरि से शुरू करेगा व्हेल का वाणजिकी शक्ति

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान ने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (International Whaling Commission- IWC) की सदस्यता छोड़कर फरि से व्हेल का वाणजिकी शक्ति शुरू करने की घोषणा की है।

### जापान द्वारा IWC की सदस्यता त्यागने का कारण

- इससे पहले भी जापान ने कई बार इस निकाय से बाहर निकलने की धमकी दी थी और जानवरों के शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाली संघीका हस्ताक्षरकरता होने के बावजूद 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिये एक वर्ष में सैकड़ों व्हेल पकड़ने के कारण नियमित रूप से इसकी आलोचना की जाती रही है।
- जापान ने IWC से मांग की थी कि उसे व्हेल का वाणजिकी शक्ति फरि से शुरू करने की अनुमति दी जाए लेकिन जापान की इस मांग को व्हेल के शक्ति का वरिष्ठ करने वाले देशों जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, के वरिष्ठ के चलते स्वीकार नहीं किया गया।
- जापान आधिकारिक तौर पर इस वर्ष के अंत तक अपने फैसले के बारे में IWC को सूचित करेगा, जिसका तात्पर्य यह है कि जापान द्वारा इस आयोग की सदस्यता छोड़ने का फैसला 30 जून, 2019 तक लागू हो सकेगा।

### IWC की सदस्यता त्यागने के मायने

- उल्लेखनीय है कि व्हेल का वाणजिकी शक्ति जापान के क्षेत्रीय जल और वैशिष्ट्य आरथिक क्षेत्रों तक सीमित होगा। वह अंटारकटिक या दक्षिणी गोलार्द्ध में शक्ति नहीं करेगा।
- IWC की सदस्यता छोड़ने का मतलब है कि जापान आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में शामिल हो जाएगा जो व्हेल के वाणजिकी शक्ति पर IWC द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का खुले तौर पर वरिष्ठ करते हैं।
- IWC की सदस्यता छोड़ने का तात्पर्य यह है कि IWC द्वारा वर्तमान में संरक्षित मकि और अन्य व्हेल का जापान के तटीय क्षेत्रों में फरि से शक्ति करिया जा सकेगा।
- लेकिन जापान अंटारकटिक में अपने तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किये जाने वाले शक्ति को जारी रखने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि इसे यह अनुसंधान जारी रखने की अनुमति अंटारकटिक संघीके तहत IWC का सदस्य होने के कारण दी गई है।

### सदस्यता त्यागने के पीछे जापान का तरक्क

- जापान ने सदस्यों से व्हेलों का शक्ति किया है और द्वितीय वशिव के बाद जब यह देश बेहद गरीबी की स्थितिका सामना कर रहा था उस समय माँस ही यहाँ के नविस्तरियों के लिये प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत था।
- जापान का तरक्क है कि व्हेलिंग जापान की परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हस्तिसा है और IWC की सदस्यता त्यागने से मछुआरों को व्हेल का शक्ति करने की अनुमति मिलियी। इससे देश में व्हेल के वाणजिकी शक्ति की संस्कृती को आगे बढ़ने में मदद मिलियी।

### अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (International Whaling Commission- IWC)

- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) एक वैश्वकी निकाय है जिसे व्हेल के संरक्षण और शक्ति संबंधी प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।
- IWC के सभी सदस्य व्हेलिंग के विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसिमय के (International Convention for the Regulation of Whaling) के हस्ताक्षरकरता हैं।
- यह अभिसिमय एक प्रकार का कानूनी तंत्र है जिसके अंतर्गत वर्ष 1946 में IWC की स्थापना की गई थी।

### IWC के सदस्य

- वर्तमान में IWC के सदस्य देशों की संख्या 89 है।

॥

### अंटार्कटिक संधि(Antarctic Treaty)

- अंटार्कटिक संधिको वाशिंगटन संधिके नाम से भी जाना जाता है।
- इस संधिपर आरम्भ में 12 देशों- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चली, फ्रांस, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिणी अफ्रीका, तत्कालीन सोवियत संघ, युनाइटेड किंडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन में हस्ताक्षर किये।
- बाद में 27 अन्य देशों ने इस संधिको स्वीकार किया और 23 जून, 1961 को यह संधिप्रभाव में आई।

स्रोत : द हॉट एवं IWC वेबसाइट

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/japan-to-resume-commercial-whaling>